

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। (प्रपत्र संलग्न)

इसी तारतम्य में कोरबा जिला के कटघोरा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पोड़ीउपरोड़ा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक-4-4/2018/56/इ.सू.प्रौ.: राज्य शासन एतद्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 4-54/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 26/06/2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतनेट परियोजना अंतर्गत निम्नालिखित मार्ग के किनारों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राईट ऑफ वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है :-

जिला का नाम	जिलेवार प्रदत्त राईट ऑफ वे की अनुमति (कि.मी.)
बालोद	2239.042
बलौदाबाजार	1580.163
वस्तर	1297.671
वेमेतरा	1360.586
वीजापुर	582.665
विलासपुर	1798.250
दत्तेवाड़ा	357.884
धमतरी	821.845
दुर्ग	427.459
गरियाबंद	1978.244
जाजगीर-चांपा	2089.163
जशपुर	570.788
कवीरधाम	1669.394
काकर	2014.129
कोण्डागांव	560.121
कोरबा	1016.073
कोरिया	2577.970
महारागुन्ध	1395.313
मुंगेली	747.039
नारायणपुर	101.137
रायगढ़	2006.000
रायपुर	1340.250
राजनांदगांव	2331.905

जिला का भाग	जिलेदार प्रदत्त राईट ऑफ वे के अनुमति (रु. में)
सुकमा	267.753
सुरजपुर	895.473
सरगुजा	968.482
कुल	33195.827

यह कार्य, विभाग की नोडल एजेंसी चिप्स द्वारा शासकीय मार्गों पर किया जा रहा है। अतः इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी को बैंक गारंटी से मुक्त रखा जाता है, परन्तु ऑप्टिकल फाइबर विछाने का कार्य करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व गड़दों का भराव, सड़क या उनके किनारों की मरम्मत आदि करना होगा। चिप्स में एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी का विमुक्तिकरण, ऑप्टिकल फाइबर विछाने के दौरान सड़क, उसके किनारों में दूट-फूट, और खोदे गये गड़दों का भराव संतोषप्रद रूप से करने के उपरान्त ही किया जाए।

चिप्स द्वारा पृथकतः सक्षम अधिकारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, वन मार्ग एवं रेलवे क्रासिंग के राईट ऑफ वे के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एलेक्स पॉल मेनन)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

